संख्या-22 /2019/276 ई-2/तेरह-2019-23/2004

प्रेषक,

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 02 फरवरी, 2019

विषय:- मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि0, गोरखपुर में पूर्व से स्थापित 200 कि0ली0 प्रतिदिन क्षमता के आर0एस0 प्लान्ट को ई0एन0ए0 प्लान्ट में परिवर्तित किये जाने तथा पूर्व से स्थापित 65 कि0ली0 प्रतिदिन क्षमता के वाश-टू- ई0एन0ए0 प्लान्ट में लघु परिवर्तन करके प्लान्ट की क्षमता 100 कि0ली0 प्रतिदिन वाश-टू-ई0एन0ए0 किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-113/दो-प्रा0डी0-136, दिनांक 24 जनवरी, 2019 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 24-01-2019 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित कार्यवृत्त पत्र संख्या-248 ई-2/ तेरह-2019-95/2015, दिनांक 31 जनवरी, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिकहित एवं राजस्वहित में मेसर्स इण्डिया ग्लाइकाल्स लि0, गोरखपुर में पूर्व से स्थापित 200 कि0ली0 प्रतिदिन क्षमता के आर0एस0 प्लान्ट को वाश-टू-ई0एन0ए0 प्लान्ट में परिवर्तित किये जाने तथा पूर्व से स्थापित 65 कि0ली0 प्रतिदिन क्षमता के वाश-टू- ई0एन0ए0 प्लान्ट में लघु परिवर्तन करके इसकी क्षमता 100 कि0ली0 प्रतिदिन वाश-टू-ई0एन0ए0 किये जाने एवं आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता के अन्तर्गत बाजार की मांग के अनुसार रेक्टिफाइड स्प्रिट एवं ई0एन0ए0 का निर्माण एवं विक्रय किये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

तद्नुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in